न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/117/2021	08–10–2021	18–04–2023

01– मामला पुत्र फुला जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
02– बसन्ता पुत्र घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03– रमेश घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (मृतक)
03/1 रज्जो देवी पत्नी रमेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03/2 विशम्भर पुत्र रमेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03/3 नत्थराम पुत्र रमेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
04– लटूर पुत्र घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
05– रामोतार पुत्र घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
06– रामकरण पुत्र बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
07– भोमा पुत्र बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
08– भोलिया पुत्र बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी भापाकी तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलान्टान

बनाम

01–सुरेश कुमार पुत्र भगवान जाति चमार निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
02–अशोक कुमार पुत्र भगवाना जाति चमार निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03–अजय कुमार पुत्र भगवाना जाति चमार निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

– असल रेस्पौडेन्ट

04–श्रीराम पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

05—लीला पुत्र बहादुर जाति गुर्जर निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील निर्णय विरूद्ध तहसीलदार बानसूर दिनांक 09.11.2016 जिसके अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 खारिज कर आदेश दिनाक 30.10.2015 को बहाल रखा गया है को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट संख्या 1 व 2
02—श्री अशोक कुमार मुदगल — वकील अपीलान्टान संख्या 3/1 लगा0 3/3 तक
02—श्री रामेश्वर दयाल — वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा0 3 तक

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर, के निर्णय दिनांक 09.11.2016 जिसके अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 खारिज कर आदेश दिनाक 30.10.2015 को बहाल रखा गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, असल रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183— बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, कि आराजी खसरा न0 643 रकबा 6.66, खसरा न0 644 रकबा 0.01 व आराजी खसरा न0 645 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम मोरोडी में स्थित है, प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण जाति से चमार है, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है। अप्रार्थीगण का आराजीयात से कोई सरोकार नही है। अप्रार्थीगण ताकतवर व लडाकु किस्म के होंने के कारण प्रार्थी की जमीन पर माह जुलाई 2015 में खरीफ की फसल बो दी गयी व बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा कर लिया प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से जमीन से कब्जा छोडने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी गयी की यदि तुम हमसे ताकतवर हो तो कब्जा छुडा लो हम किसी भी सूरत में कब्जा नही छोडेगे। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है, प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से कब्जा हटाया जाकर अप्रार्थीगण को बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा बिना तामील कराये ही अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दिनाक 30.10.2015 को ही निर्णय पारित कर आराजी खसरा न0 643, 644, 645 वाके ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर से प्रार्थीगण को कब्जा दिलाने हेतु आई.एल.आर./पटवारी हल्का का आदेश जारी कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामील मिन अपीलान्टान पर करायी ही नही गयी और न ही किसी नोटिस तामील पर मिन अपीलान्टान के कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी है। तामील रिपोर्ट फर्जी करायी गयी है, तामील के आधार पर तहत अदालत द्वारा बगैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तामील कुनन्दा एंव गवाहान के बयान लिये ही मिन अपीलान्टान की तामील कानूनी प्रावधानो के खिलाफ जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनाक 30.10.2015 को निर्णय पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा न0 643 रकबा 6.66, खसरा न0 644 रकबा 0.01 व आराजी खसरा न0 645 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर में बाजरा, ग्वार व गाजर की फसल खडी होना व फसल मामला पुत्रान मूला, श्रीराम पुत्र सोहन, बसन्ता, रमेश, लटूर, रामौतार पुत्रान घीसा, लीला पुत्र बहादुर, रामकरण, भोमा, भोलिया पुत्रान बहादुर कौम गुर्जर निवासी मौरोडी के द्वारा फराल काश्त करने तथा इन्ही का कब्जा होना अंकित किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजीयात आराजी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायक 3 के बुजुर्गान माडिया उर्फ गाडूराम पुत्र शंकर जाति चमार निवासी मोरोडी तहसील बानसूर की खातेदारी काश्त की आराजी थी, जिसने उक्त आराजी को मिन अपीलान्टान के बुजुर्गान बहादुर पुत्र चन्दर, घीसा पुत्र गोविन्दा व मामला पुत्र फूला, श्रीराम पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी ढाणी भोपा की तन मोरोडी तहसील बानसूर को दिनाक 22.05.1984 को 22,000/रूपये में विक्रय कर कब्जा केतागण को संभला दिया था। तथा तभी से केंतागण उक्त आराजी पर काबिज है, उनकी मृत्यु के बाद हम अपीलान्टान काबिज काश्त है, व मकानात वगै0 भी बना रखे है। अपीलान्टान की खरीदशुदा आराजी है, जिस पर मिन अपीलान्टान आज से करीब 40 साल से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी बाखूबी जानकारी असल रेस्पोडेन्टान को है, प्रार्थना पत्र असल रेस्पोडेन्टान द्वारा तहत अदालत के समक्ष अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत पेश किया गया है, जो मियाद के बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य था, लेकिन तहत अदालत द्वारा बिना गौर किये ही रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी अपीलान्टान के विरूद्व स्वीकार कर बेदखली का निर्णय पारित किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्टान को दिनाक 04.10.2016 को हुई जब रेस्पोडेन्टान के द्वारा तहत अदालत के समक्ष अन्तर्गत धारा 183– सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किये जाने पर नोटिस जारी हुये जिस पर मिन अपीलान्टान तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के तहत पेश कर निवेदन किया गया की प्रकरण में अप्रार्थीगण की तामील नही हुई है, जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना गौर किये ही गलत तरीके से दिनाक 09.11.2016 को खारिज किया जाकर निर्णय दिनाक 30.10.2015 को यथावत रखा गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्टान के द्वारा कैवियट के नोटिस पर हुई जिस पर तहत अदालत के आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनाक 06.12.2016 को किया गया। जिस पर नकल तैयार होकर दिनाक 9.12.2016 को प्राप्त हुई, जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा कानूनी सलाह मशवरा कर पैसो का इंतजाम कर कर बिना देरी किये अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम प्राथना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनाक 30.10.2015 से अपील प्रस्तुत करने की दिनाक तक गुजरे समय को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 30.10.2015 को निरस्त किया जावे। कथन की पुष्टि में आर.आर.डी दिनाक 14.06.2014 की नजीरे पेश की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वकील रेस्पोडेन्टान उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टान ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, वकील अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया इकरानामा दिनाक 22.05.1984 की प्रति पब्लिक–नोटेरी से प्रमाणित करा कर पेश की गयी है, जिस पर पक्षकारान के कोई हस्ताक्षर मौजुद नही है, जिससे यह दस्तावेज मान्य नही है। उक्त दस्तावेज अपने स्थित पर बैक डेट में तैयार कराया गया है। साथ ही बहस में निवेदन किया है, कि यदि इकरारनामा पक्षकार के मध्य हुआ है, तो भी धारा 42 का उल्लंधन है। क्योकि नियमो के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के खातेदार की आराजी स्वर्ण जाति के खातेदार को किसी भी तरह से हस्तान्तरण नही की जा सकती है। जो नियम विरूद्व है। कथन की पुष्टि में आर.आर.टी.2017 पेज न01281 की नजीरे पेश की गयी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसील बानसूर जिला अलवर. निर्णय दिनांक 30.10.2015 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 02.01.2017 को पेश की गयी है, जो एक वर्ष 3 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.10.2016 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183– बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर बिना नोटिस तामील कराये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है, तथा जानकारी होने पर तहत अदालत के समक्ष अपीलान्टान द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के तहत पेश जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना गौर किये ही गलत तरीके से दिनाक 09.11.2016 को खारिज किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183– बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीयान को नोटिस जारी किये गये है, उनकी पुख्ता तामील रिपोर्ट प्राप्त नही की गयी है, क्योकि न्यायालय हाजा में पेश अपील में अपीलान्टान क्रमशः मामला, बसन्ता, रमेश, रामोतार, राककरण, भौमा द्वारा अपने हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशानी अंकित की गयी है, केवल भौलिया के द्वारा ही अपने हस्ताक्षर किये है। जबकि तहत अदालत की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पत्रावली में इस सभी के तामील प्राप्ति की सूचना में हस्ताक्षर किये हुऐ है, साथ प्रार्थी लीला राम पुत्र बहादर, श्रीराम पत्र सोहन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी का दिनाक 01.03.2016 को मय वकालतनामा के पेश किया गया है, जिस पर अप्रार्थीयान को कोई नोटिस जारी किये गये हो तहत अदालत की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे स्पष्ट है, कि अप्रार्थीयान को विधिवत सूचना नही दी गयी है, एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2015 निरस्त किया जाता है, अपील इस निर्देश के साथ तहसीलदार बानसूर को प्रतिप्रषित की जाती है, कि प्रकरण की पुनः विधिसमत जॉच कर अप्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)